| | | |
|---|---|---|
| | उपस्थित तथा वकील अप्रार्थी की अनुपस्थिति पर [illegible] गवाकि 17/12/16 को फाइलिंग के अतिरिक्त बहस का [illegible] है अप्रार्थी पक्ष को हिदायत दी जाती है कि आगामी पेशी पर अनिवार्य रूप से बहस करना सुनिश्चित करें अन्यथा एकपक्षीय बहस सुनकर निर्णय [illegible] सुनाया जायेगा। वास्ते बहस दिनांक 11/02/16 को पेश हो। | |
| 11-02-16 | पत्रावली पेश। वकील उभय पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थी इस अमर का जारी किया जाता है कि कृषि भूमि केत ख०नं० 36, 40, 176, 177 कुल तादादी 14.02 बीघा रोही ग्राम सहनाली छोटी में मौके की यथास्थिति एवं प्रार्थी के हिस्से तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। निर्णय अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया जो दावा के शामिल मिसल रहे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>चूरू | |